संख्या-59/2016/आर.984/26-3-2016-10(16)/2016टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 मार्च 2016

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1962/स.क./विकास(27)/एकीकृत विकास योजना/15-16, दिनांक-22.03.2016 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-64/2015/2084/26-3-2014-10(16)/2014, दिनांक-10.06.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकासखण्ड-भनवापुर के ग्राम रेडवरिया, तेनई, बिजौरा, बेव मुस्तहकम एवं चैनिया में स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्न विवरण के अनुसार अवशेष धनराशि रूपया-395.45 लाख (रूपया तीन करोड़ पन्चानबे लाख पैतालिस हजार मात्र) को पुनर्विनियोग (संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9) के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-सिद्धार्थनगर

(रूपया लाख में)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	विकास कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रेडवरिया	भनवापुर	सी.सी.रोड़/के.सी. ड्रेन निर्माण	99.73	19.95	79.78
2	तेनई	"	पिच रोड़/सी.सी.रोड़/के.सी. ड्रेन निर्माण	99.02	19.80	79.22
3	बिजौरा	"	पिच रोड़/सी.सी.रोड़/के.सी. ड्रेन निर्माण	99.61	19.32	77.29
4	बेव मुस्तहकम	"	पिच रोड़/सी.सी.रोड़/के.सी. ड्रेन निर्माण	99.66	19.93	79.73
5	चैनिया	"	पिच रोड़/सी.सी.रोड़/के.सी. ड्रेन निर्माण	99.28	19.85	79.43
कुल योग				494.30	98.85	395.45

(1)- प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं एवं लागत को यथावत मानते हुए स्वीकृत प्रदान की गयी है। अतएव स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)-उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24--बृहद निर्माण कार्य"के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9(पार्ट-1)

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-59/2016/आर.984(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र लखनऊ।
4.कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5.अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

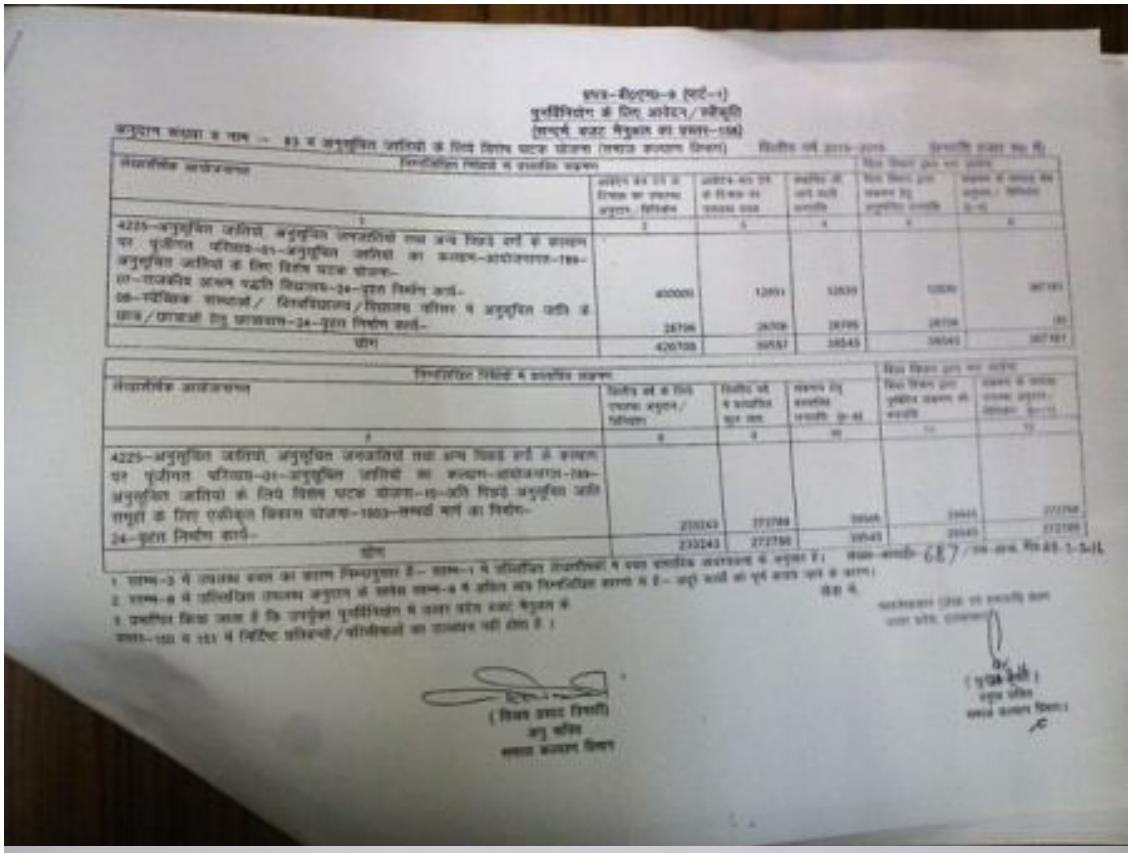

59/2016/924 -2-

संख्या– (1)/26–3–2016–10(16)/2016–टीसी दिनांक 30 मार्च, 2016।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
8. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।